UPMB010024402022

न्यायालय अपर जिला जज, (कोर्ट नं0–1), महोबा।
प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–41/2022
श्रीमती नीलम आदि बनाम भूपेन्द्र सोनी आदि

25.07.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम तथा उस पर उत्तरार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 31ग पर सुना गया।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 5ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया एक गरीब महिला है और दूसरे के घरों में काम करके जीविका उपार्जन करती है तथा प्रश्नगत आदेश दिनांकित–16.07.2022 पारित होने के पश्चात् प्रार्थिया ने नकलें दिनांक–22.07.2022 को प्राप्त कीं और अपने अधिवक्ता को अपील प्रस्तुत करने को दीं, जिनके द्वारा अपील तैयारी में समय लगा। चूंकि आदेश के अनुसार मामला बहुत ही तकनीकि पूर्ण हो जाने के कारण 01 माह का समय लगा और जब अपील तैयार हुई तो प्रार्थिया वायरल बुखार से पीड़ित हो गयी और काफी समय बुखार से पीड़ित रही तथा गरीबी के कारण देशी दवायें खाकर इलाज करती रही। चूंकि घर पर कोई भी पुरूष बालिग नहीं था, इसलिए अपनी पुत्री को अपील हेतु न्यायालय नहीं भेज सकी और जब स्वस्थ हुई तो कमजोरी के कारण चलने–फिरने में असमर्थ रही। इस प्रकार प्रार्थिया को लगभग 2 माह लग गये। इस कारण प्रार्थिया संख्या–1 अपील प्रस्तुत कराने नहीं आ सकी थी और स्वस्थ होने पर आज अपील प्रस्तुत कर ही है। प्रार्थिया संख्या–1 ही पैरोकार मुकदमा है। अपील को प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह माफी काबिल है।

अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उत्तरार्थी पक्ष की ओर से आपत्ति 31ग प्रस्तुत की गयी है जिसमें इस आशय के कथन किये गये हैं कि धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अपीलार्थी खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्यात है। धारा–5 मियाद अधिनियम में लिये गये आधार पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि महोबा मुख्यालय में अपीलार्थिनी का निवास है और सरकारी अस्पताल भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिनी का यह कथन कि देशी दवा खाकर इलाज करती रही, गलत व बेबुनियाद है। किस प्रकार की दवा का इलाज होता रहा और कब स्वस्थ्य हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थिनी पढ़ी–लिखी महिला है, इसलिए प्रार्थना पत्र में मनगढंत कहानी लिखाई गई है, जो काबिले समात नहीं है। उक्त आधार पर उत्तरार्थी पक्ष की ओर से, अपीलार्थिनीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज होने योग्य है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली एवं विधि के प्राविधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

न्यायालय का मत है कि परिसीमा सम्बन्धी प्राविधानों पर न्यायालय को उदारतापूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए, ताकि कोई पक्ष बिना किसी अपनी स्वयं की त्रुटि के, प्रक्रियात्मक जटिलता के कारण सारभूत न्याय से वंचित न रह सके।

धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पर्याप्त कारण होने पर विलम्ब को माफ किया जा सकता है। यहां तक कि यदि अधिवक्ता की भी कोई त्रुटि हुई है, तो उसके आधार पर भी पक्षकार का विधिक पथ अवरूद्ध करते हुए उसे सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

रामधनी तिवारी बनाम डी0डी0सी0 व अन्य 1995 ए0डब्लू0सी0 1974 के वाद में इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के आवेदनों पर बहुत उदारता से विचार होना चाहिए और जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर न आ जाये कि याची/प्रार्थी विलम्ब का जो कारण बतला रहा है, वह एक दम गलत है, तब तक उसकी प्रार्थना को आमतौर पर स्वीकार कर लेना न्यायोचित होगा, क्योंकि न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् ही आदेश पारित करना चाहिए। न्यायालय का दरवाजा तकनीकि आधार पर सर्वदा के लिए बंद कर देना उचित नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकरण में अपीलार्थीगण की ओर से जो प्रार्थना पत्र 5ग मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, उसके कथनों के समर्थन में शपथ पत्र 6ग भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थिति में विधि के प्राविधान तथा उल्लिखित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में विचार करने के उपरान्त न्यायालय के मत में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ग स्वीकार होने योग्य है। जो असुविधा उत्तरार्थी पक्ष को हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 5ग हर्जाने के साथ स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम निष्कर्षानुसार 5,000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार उत्तरार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 31ग निस्तारित की जाती है।

पत्रावली अपील अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–29.07.2024 को माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हो।

दिनांक–25.07.2024

(ध्रुव राय)
न्यायालय अपर जिला जज, (कोर्ट नं0–1)
महोबा,
J.O No.U.P-2402